प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला. भ्र0नि0ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर, वर्ष 2022
   प्र0इ0रि0 सं0............449 / 2022 'दिनांक............24/11/2022
2. (अ) अधिनियम .... धाराये 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018
   (ब) अधिनियम................................धाराये..
   (स) अधिनियम................................धारायें..
   (द) अन्य अधिनियम धारायें..
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या............................416......समय..............5:50 PM.
   (ब) अपराध घटने का 'दिन वर्ष– 08.09.2022 वार गुरूवार
   (स) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 08.09.2022
4. सूचना की किस्म:– लिखित
5. घटना स्थल:– पुलिस थाना मुण्डावर, जिला भिवाडी(अलवर)
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:–कार्यालय एसीबी,अलवर प्रथम चौकी से लगभग 42 कि0मी0 उत्तर दिशा मे
   (ब) ....
   बीट संख्या..जरायमदेही संख्या...........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना..जिला ....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम :– श्री मोहम्मद साबिर हुसैन
   (ब) पिता / पति का नाम :– श्री उस्मान
   (स) जन्म तिथि उम्र लगभग 36 साल
   (द) राष्ट्रीयता..................................भारतीय...
   (य) पासपोर्ट संख्या..जारी होने की तिथि............
   जारी होने की जगह..
   (र) व्यवसाय... कबाडी का कार्य
   (ल) पता:– गांव तिगावा, तहसील व थाना पुन्हाना, जिला मेवात नूँह, हरियाणा, हाल कबाडी की दुकान हसनपुर बाईपास तिजारा, जिला अलवर
7. ज्ञात / अज्ञात / संदिग्ध अभियुक्तों का पूर्ण विवरण
   श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123, पुलिस थाना मुण्डावर, जिला भिवाडी (अलवर)
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने मे विलम्ब का कारण–कोई नहीं
9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियाँ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये):– 10,000 रू0 रिश्वत की मांग करना
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य–
11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)......नहीं...
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय,

वाक्यात इस प्रकार है कि दिनांक 08.09.2022 को समय 12.00 पी0एम पर श्री विजय सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर ने मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके सामने बैठे हुये दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का परिचय श्री मोहम्मद साबिर हुसैन पुत्र श्री उस्मान ,जाति मेव, निवासी तिगावा, तहसील व थाना पुन्हाना, जिला मेवात नूँह, हरियाणा, हाल कबाडी की दुकान हसनपुर बाईपास तिजारा, जिला अलवर परिवादी के रूप में तथा दुसरे व्यक्ति का परिचय श्री उस्मान पुत्र श्री सल्लू, जाति मेव, उम्र 69 साल, निवासी मस्जिद के पास, कंसाली, तहसील फिरोजपुर–झिरका, पुलिस थाना नगीना, जिला मेवात नूँह, हरियाणा, परिवादी के पिताजी के रूप में करवाते हुये परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन द्वारा ब्यूरों में पेश कम्प्यूटर से टाईपशुदा प्रार्थना पत्र इस आशय का मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया कि " सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर। विषय:– पुलिस थाना

मुण्डावर के रिश्वतखोर हैड कानि0 बलवन्त सिंह को रंगे हाथों पकडवाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मैं मोहम्मद साबिर हुसैन पुत्र उसमान जाति मेव, निवासी तिगॉव, तहसील व थाना पुन्हाना, जिला मेवात नूँह हरियाणा का रहने वाला हूँ तथा हसनपुर बाईपास तिजारा में कबाडे का काम करता हूँ। दिनांक 23.01.2022 को मैं कोटपूतली व बहरोड से पुराने टायर खरीद कर मेरी पिकप गाडी नं0 एच0 आर0–74ए–8369 में भरकर तिजारा ला रहा था। रास्ते में सोडावास चौकी के पुलिस वालों ने मेरी गाडी को रूकवाया और मेरे से पैसे मांगे तथा कहा कि आप चोरी के टायर लाते हो हमें पैसे दो नही तो हम आपकी गाडी को चोरी का केस बनाकर बन्द कर देंगे। मैंने उनको पैसे नही दिये तो उन्होने मेरी गाडी को चोरी व दारू के केस में बन्द कर मुझे व मेरे साथी भागीरथ एवं बसरुदीन को गिरफ्तार कर पुलिस थाना मुण्डावर में बन्द कर दिया और हमारे खिलाफ एफआईआर नं0 44/2022 दर्ज की गई जिसकी तफ्तीश पुलिस थाना मुण्डावर का हैड कानि0 बलवन्त नं0 123 कर रहा है। मैं कोर्ट से मेरी जमानत करवाने के बाद पुलिस थाना मुण्डावर पर मेरी गाडी को छुडवाने के लिये गया और बलवन्त हैड कानि0 से मिला तो बलवन्त हैड कानि0 ने मेरे से कहा कि मैं तेरे भाई अहजाद को भी इस मुकदमें में मुल्जिम बनाउंगा यदि आप गाडी छुडवाना चाहते हो और आपके भाई अहजाद को मुल्जिम नही बनवाना चाहते हो तो आपको मुझे 20000 रू0 देने पडेंगे और आप मुझे पैसे नही दोंगे तो मैं आपकी गाडी नही छोडूंगा और आपके भाई को भी मुल्जिम बना दूंगा। मैं पुलिस थाना मुण्डावर के हैड कानि0 बलवन्त को रिश्वत नही देना चाहता हूँ तथा उसे मेरे से रिश्वत लेते हुये को ए0सी0बी0 से रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।" तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन व परिवादी के पिताजी श्री उस्मान को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन पुत्र श्री उस्मान ,जाति मेव, उम्र 36 साल, निवासी तिगावा, तहसील व थाना पुन्हाना, जिला मेवात नूँह, हरियाणा, हाल कबाडी की दुकान हसनपुर बाईपास तिजारा, जिला अलवर द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मैं कबाडे का काम करता हूँ तथा दिनांक 23.01.2022 को मैं कोटपूतली व बहरोड से पुराने टायर खरीद कर मेरी पिकअप गाडी नं0 एच0 आर0–74ए–8369 में भरकर तिजारा ला रहा था। रास्ते में सोडावास चौकी के पुलिस वालों ने मेरी गाडी को रूकवाया और मेरे से पैसे मांगे तथा कहा कि आप चोरी के टायर लाते हो हमें पैसे दो नही तो हम आपकी गाडी को चोरी का केस बनाकर बन्द कर देंगे। मैंने उनको पैसे नही दिये तो उन्होने मेरी गाडी को चोरी व दारू के केस में बन्द कर मुझे व मेरे साथी भागीरथ एवं बसरूदीन को गिरफ्तार कर पुलिस थाना मुण्डावर में बन्द कर दिया और हमारे खिलाफ पुलिस थाना मुण्डावर में एफआईआर नं0 44/2022 दर्ज की गई जिसकी तफ्तीश पुलिस थाना मुण्डावर का हैड कानि0 बलवन्त सिंह नं0 123 कर रहा है। मैं कोर्ट से मेरी जमानत करवाने के बाद पुलिस थाना मुण्डावर पर मेरी गाडी को छुडवाने के लिये गया और बलवन्त सिंह हैड कानि0 से मिला तो बलवन्त सिंह हैड कानि0 ने मेरे से कहा कि मैं तेरे भाई अहजाद को भी इस मुकदमें में मुल्जिम बनाउंगा यदि आप गाडी छुडवाना चाहते हो और आपके भाई अहजाद को मुल्जिम नही बनवाना चाहते हो तो आपको, मुझे 20000 रू0 देने पडेंगे और आप मुझे पैसे नही दोंगे तो मैं आपकी गाडी नही छोडूंगा और आपके भाई को भी मुल्जिम बना दूंगा। मैं व मेरे पिताजी श्री उस्मान पुलिस थाना मुण्डावर के हैड कानि0 बलवन्त को रिश्वत नही देना चाहते है तथा उसे मेरे से रिश्वत लेते हुये को ए0सी0बी0 से रंगे हाथ पकडवाना चाहते है। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी व मेरे पिताजी श्री उस्मान की श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123, पुलिस थाना मुण्डावर, जिला अलवर से कोई रंजिश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन–देन भी बकाया नही है। परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन ने यह भी बताया कि वह कम पढा–लिखा है तथा ठीक से लिख नही पाता है, लिखे हुये को अच्छी तरह से पढना जानता है। इसलिए उसने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं ने बोल–बोल कर एक कम्प्यूटर वाले से टाईप करवाकर लाना तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा उक्त सभी बातों की जानकारी उसके पिताजी श्री उस्मान को भी है। इसलिए उक्त कार्यवाही में अपने पिताजी श्री उस्मान को भी साथ रहने के लिये बताया। तत्पश्चात परिवादी के साथ आये उसके पिताजी ने दरियाफ्त पर बताया कि वह अनपढ है तथा लिखना–पढना बिल्कुल भी नही जानता है। इस पर परिवादी मोहम्मद साबिर हुसैन द्वारा ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर श्री उस्मान को सुनाया गया जिस पर श्री उस्मान ने उक्त तथ्यों की ताईद करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र अपने पुत्र श्री मोहम्मद साबिर हुसैन द्वारा कम्प्यूटर से टाईप करवाकर लाना तथा उसे उक्त सभी बातों की जानकारी होना बताया। तत्पश्चात परिवादी के साथ उपस्थित श्री उस्मान से कार्यवाही में परिवादी के साथ रहने की सहमती प्राप्त कर परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत कम्प्यूटर से टाईपशुदा प्रार्थना पत्र

पर श्री उस्मान के भी अंगूठा निशानी करवाये गये। दौरान पूछताछ परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन द्वारा अपनी पिकअप गाडी नं0 एच0 आर0–74ए–8369 की पॉवरऑफ अटोर्नी, एफआईआर नं0 44/2022 पुलिस थाना मुण्डावर व अपने आधार कार्ड की स्वयं हस्ताक्षरित प्रस्तुत छायाप्रतियॉ एवं श्री उस्मान ने अपने आधार कार्ड की प्रस्तुत छायाप्रति को बाद अवलोकन कार्यवाही में संलग्न किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाया जाने पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु दिनांक 08.09.2022 को ही समय 02.00 पी0एम0 पर कार्यालय की अलमारी से श्री महेश कुमार कानि0 462 से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगाकर परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन व परिवादी के पिताजी श्री उस्मान को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादीगण के समक्ष श्री महेश कुमार कानि0 460 को सुपुर्द किया जाकर परिवादीगण को हिदायत दी गई कि वह श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123, पुलिस थाना मुण्डावर, जिला भिवाडी(अलवर) के पास जाकर, थाना में बन्द अपनी पिकअप गाडी को छुडवाने एवं अहजाद को मुकदमें में मुल्जिम नही बनाने के कम में श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 द्वारा रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर मन पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्रस्तुत करें, साथ ही श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादीगण के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देश कर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादीगण को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी के पास भेजे तथा परिवादीगण के साथ आसपास रहकर परिवादीगण व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। रिश्वत मांग सत्यापन से जैसी सूरत पाई जावेगी अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। परिवादीगण व कानि0 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 08.30 पी0एम0 पर श्री महेश कुमार कानि0 462 मय हमराह परिवादीगण श्री मोहम्मद साबिर हुसैन एवं परिवादी के पिताजी श्री उस्मान के ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 ने रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन ने बताया कि मैं, मेरे पिताजी उस्मान व श्री महेश कुमार कानि0 आपके कार्यालय से रवाना होकर कस्बा मुण्डावर जिला अलवर के बाहर स्थित पुलिस थाना मुण्डावर के पास पहुचे, जहा पर श्री महेश कुमार कानि0 ने समय करीब 04.24 पी0एम0 पर ए0सी0बी0 का सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर मुझे दिया, जिसे साथ लेकर के मैं व मेरा पिताजी श्री उस्मान पुलिस थाना मुण्डावर में श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 के पास गये तथा श्री महेश कुमार कानि0 थाने के बाहर ही रूक गया था। पुलिस थाना मुण्डावर पर मुझे व मेरे पिताजी को श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123 मौजूद मिला, जिससे मैंने व मेरे पिताजी उस्मान ने थाने पर बन्द हमारी पिकअप गाडी को छुडवाने एवं मेरे भाई अहजाद को मुकदमें में मुल्जिम नही बनाने के सम्बन्ध में वार्ता की तो श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 ने हमारी गाडी छोडने व मेरे भाई अहजाद को मुल्जिम नही बनाने की एवज में 10,000 रू0 रिश्वत की मांग की और हमारे से 10 हजार रू0 पूर्व में भी प्राप्त करना स्वीकार किया तथा मेरे भाई अहजाद को थाने पर लेकर आने के लिये कहा है। मेरे, मेरे पिताजी श्री उस्मान व आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123 पुलिस थाना मुण्डावर के बीच रिश्वत मांग के कम में जो वार्ता हुई, उन सभी बातों को मैंने ए0सी0बी0 के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया तथा समय करीब 2 घण्टें बाद थाने से बाहर श्री महेश कुमार कानि0 के पास आकर मैंने उक्त टेप रिकार्डर श्री महेश कुमार कानि0 को दे दिया था, जिसको श्री महेश कुमार कानि0 ने बन्द कर अपने पास रख लिया था। इसके बाद मैं व मेरा पिताजी श्री उस्मान, श्री महेश कुमार कुमार कानि0 के साथ आपके पास आ गये। पूछने पर परिवादी के पिताजी श्री उस्मान व श्री महेश कुमार कानि0 ने परिवादी मोहम्मद साबिर हुसैन के उक्त तथ्यों की ताईद की। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा सुपुर्द टेपरिकार्डर को चलाकर सुना, जिसमें परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हुई तथा रिश्वत मांग का सत्यापन होना पाया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त वार्ताओं के रिकार्डशुडा एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को डिजिटल वाईस रिकार्डर से निकालकर कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन एवं परिवादी के पिताजी श्री उस्मान को आरोपी बलवन्त सिंह हैड कानि0 123, पुलिस थाना मुण्डावर, जिला भिवाडी (अलवर) को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000 रू0 अपने साथ लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 09.09.2022 को प्रातः ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने कहा गया तो परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन ने बताया कि आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 ने अहजाद को भी थाने पर साथ लेकर आने के लिये कहा है और अभी मेरा भाई अहजाद ट्रक

लेकर मद्रास की तरफ गया हुआ है, जिसको आने में करीब एक महिना लग जायेगा और बलवन्त सिंह हैड कानि0 अहजाद को थाने पर बिना लेकर गये हमारे से रिश्वत राशि भी नही लेगा इसलिए हम अहजाद को गाडी पर से आते ही आपके पास अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जायेगें। तत्पश्चात परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन को हिदायत दी गई कि वह मन पुलिस निरीक्षक या श्री महेश कुमार कानि0 से सम्पर्क कर अपने छोटे भाई अहजाद को मद्रास से आने के बारे में अवगत करावे तथा शीघ्रातिशीघ्र अग्रिम कार्यवाही हेतु ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होवें, साथ ही दोनों परिवादीगण को गोपनीयता की हिदायत कर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया।

इसके बाद दिनांक 06.10.2022 को श्री महेश कुमार कानि0 462 ने अवगत करवाया कि दिनांक 05.10.2022 को शाम के समय परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन से वार्ता हुई है। परिवादी ने मुझ कानि0 को बताया कि उसका भाई अहजाद मद्रास से गाडी लेकर आ गया है। इसलिए वह अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 06.10.2022 को सुबह 10.00 बजे तक ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर में उपस्थित हो जायेगा। जिस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर को गोपनीय कार्यवाही में दो सरकारी कर्मचारी, स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध करवाने हेतु कार्यालय पत्र जारी करवाकर गवाह तलब किये गये तथा समय 10.30 ए0एम0 पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन मय अपने पिताजी श्री उस्मान के ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया तथा परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन ने मन पुलिस निरीक्षक को संदिग्ध आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123, पुलिस थाना मुण्डावर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000 रू0 अपने साथ लेकर आना बताया तथा साथ ही यह भी बताया कि संदिग्ध आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0, रिश्वत की राशि मेरे पिताजी श्री उस्मान से ही प्राप्त करेगा। परिवादीगण को कार्यालय कक्ष में ही बैठाया गया। तत्पश्चात समय 10.45 ए0एम0 पर कार्यालय जिला कलक्टर अलवर से तलब शुदा गवाह श्री भुवनेश्वर कुमार गुप्ता, सहायक राजस्व लेखाधिकारी द्वितीय, श्री सन्तोष कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक, ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। जिस पर पूर्व से कार्यालय में मौजूद परिवादीगण श्री मोहम्मद साबिर हुसैन व श्री उस्मान का परिचय दोनों गवाहान श्री भुवनेश्वर कुमार गुप्ता, सहायक राजस्व लेखाधिकारी द्वितीय, श्री सन्तोष कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला कलक्टर अलवर से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन द्वारा दिनांक 08.09.2022 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी–अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद दोनों गवाहान एवं परिवादीगण श्री मोहम्मद साबिर हुसैन व श्री उस्मान की उपस्थिति में परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन व श्री उस्मान तथा संदिग्ध आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123, पुलिस थाना मुण्डावर, जिला भिवाडी (अलवर) के मध्य दिनांक 08.09.2022 को रिश्वती मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुडा एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को कार्यालय की आलमारी के लॉक से बाहर निकालकर उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादीगण श्री मोहम्मद साबिर हुसैन व श्री उस्मान ने अपनी–अपनी आवाज व संदिग्ध आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123, पुलिस थाना मुण्डावर, जिला भिवाडी(अलवर) की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादीगण ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर कमशः तीनों सीडीयों पर मार्क "ए–1", मार्क **"ए–2"** एवं मार्क **"ए–3"** अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादीगण श्री मोहम्मद साबिर हुसैन व श्री उस्मान के हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी करवाकर सीडी मार्क **"ए–1"** व मार्क **"ए–2"** को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क **"ए–1"** व मार्क **"ए–2"** अंकित कर गवाहान एवं परिवादीगण के हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क **"ए–3"** को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छाट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती सीडी रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 06.10.2022 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई तथा सिल्डशुदा सीडी मार्क **ए–1 व ए–2** को

आईन्दा मालखाना में जमा करवाने हेतु सुरक्षित कार्यालय की आलमारी के लॉक में रखा गया। उक्त ट्रांस्क्रीप्ट एवं सी0डी0 की कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन के मोबाईल नं0 9729569155 पर संदिग्ध आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123, पुलिस थाना मुण्डावर, जिला भिवाडी(अलवर) के मोबाईल नं0 9460470235 से कॉल आया, जिसको रिसिव करने से पूर्व परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन ने दोनों गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को बताया, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी के उक्त मोबाईल नं0 9729569155 से संदिग्ध आरोपी के उक्त मोबाईल नं0 9460470235 पर कॉल करवाकर दोनों की वार्ता करवाई गई, तो संदिग्ध आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123, पुलिस थाना मुण्डावर, जिला भिवाडी(अलवर) द्वारा दिनांक 06.10.2022 को थाने पर मौजूद नही होना तथा परिवादी को रिश्वत राशि लेकर कल दिनांक 07.10.2022 को थाने पर आने के लिये कहा गया। उक्त मोबाईल वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन करवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB में रिकॉर्ड किया गया। जिसकी पृथक से सी0डी0 व ट्रास्क्रीप्ट तैयार करने हेतु सुरक्षित रखा गया। इसके बाद समय 05.15 पी0एम0 पर परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन व संदिग्ध आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 के हुई मोबाईल वार्तानुसार अग्रिम कार्यवाही दिनांक 07.10.2022 को किया जाना प्रस्तावित होने से दोनों गवाहान एवं दोनों परिवादीगण को अग्रिम कार्यबाही हेतु दिनांक 07.10.2022 को प्रातः 09.30 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया जाकर उक्त को गोपनीयता की हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया तथा साथ ही ए0सी0बी0 चौकी अलवर द्वितीय, अलवर से कार्यवाही में इमदाद हेतु श्री राजवीर कानि0 443, श्री लल्लूराम कानि0 487 एवं श्री महेश कुमार चालाक को दिनांक 07.10.2022 को प्रातः 09.30 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर में उपस्थित हेतु अवगत करवाया गया।

तत्पश्चात दिनांक 07.10.2022 को समय 10.00 ए0एम0 पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन मय अपने पिताजी श्री उस्मान के ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया तथा परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन ने मन पुलिस निरीक्षक को संदिग्ध आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123, पुलिस थाना मुण्डावर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000 रू0 अपने साथ लेकर आना तथा अपने भाई अहजाद को हमारे साथ पुलिस थाने पर जाने हेतु सीधे ही कस्बा मुण्डावर, जिला अलवर भिजवाया जाना बताया तथा इसी दौरान पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री भुवनेश्वर कुमार गुप्ता, सहायक राजस्व लेखाधिकारी द्वितीय एवं श्री सन्तोष कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक भी ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। समय 10.30 ए0एम0 पर दोनों गवाहान एवं परिवादी के पिताजी श्री उस्मान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री उस्मान को संदिग्ध आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123, पुलिस थाना मुण्डावर, जिला भिवाडी(अलवर) को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन ने अपने पास से 500–500 रूपये के 20 नोट कुल 10,000/–रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर को पेश किये, जिनके नम्बर फर्द पेशकशी व सुपुदर्गी नोट में अंकित किये गये। श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 10,000/– रूपये के नोटो को रखकर उक्त नोटों पर श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी के पिताजी श्री उस्मान की जामा तलाशी गवाह श्री भुवनेश्वर कुमार गुप्ता से लिवायी गयी तो परिवादी उस्मान के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नम्बरी नोट 10,000/– रूपये को श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से परिवादी के पिताजी श्री उस्मान के बदन पर पहने हुये कुर्ते की बगल की दाहिनी जेब में रखवाया गया। श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात श्री महेश कुमार कानि0 462 से एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादीगण श्री मोहम्मद साबिर हुसैन व श्री उस्मान एवं दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसी ने रिश्वती राशि को अपने हाथो से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। तत्पश्चात परिवादी व परिवादी के पिताजी श्री उस्मान

को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर या मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान के हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादीगण के साथ या आस–पास रहकर परिवादीगण व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का प्रयास करें। तत्पश्चात श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादीगण, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैंने भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शीशीयां मय ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। वक्त लेन–देन के समय आरोपित से होने वाली वार्ता को टेप करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 08.09.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की एवं दिनांक 06.10.2022 को रिश्वत लेन–देन के क्रम में हुई मोबाईल की रिकार्डशुदा वार्ताओं का एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगा हुआ है, को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी के पिताजी श्री उस्मान को सुपुर्द किया गया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी के उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करने की हिदायत दी गई। जिसकी पृथक से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर दिनांक 07.10.2022 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 11.30 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द मय स्वतन्त्र गवाह श्री भुवनेश्वर कुमार गुप्ता, सहायक राजस्व लेखाधिकारी द्वितीय एवं श्री सन्तोष कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक एवं ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्वश्री भौरेलाल हैड कानि0 33, नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50, हरीश चन्द कानि0 503, श्री रामसिंह कानि0 549, श्री लल्लूराम कानि0 437 एवं श्री राजवीर कानि0 443 मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर साथ लेकर एक प्राईवेट वाहन एवं एक सरकारी वाहन बोलेरो में बैठाकर मय चालक श्री महेश कुमार के तथा परिवादीगण श्री मोहम्मद साबिर हुसैन, श्री उस्मान व श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी की मोटरसाईकिल से हमराह लेकर एसीबी कार्यालय से वास्ते ट्रैप कार्यवाही बजानिब मुण्डावर, जिला अलवर के लिये रवाना होकर समय 01.00 पी0एम0 पर पुलिस थाना मुण्डावर, जिला भिवाडी(अलवर) के नजदीक पहुंचा, जहॉ पर तीनों वाहनों को साईड में खडा करवाकर सभी को वाहनों से उतार कर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 से परिवादी श्री उस्मान का टेपरिकार्डर चालू करवाकर संदिग्ध आरोपी श्री बलवन्त सिंह, हैड कानि0 123 के पास रिश्वत राशि देने के लिए पुलिस थाना मुण्डावर पर जाने के लिये परिवादीगण उस्मान व मोहम्मद साबिर हुसैन को उनकी मोटर साईकिल से रवाना किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाब्ता के परिवादीगण पर निगरानी रखते हुये पुलिस थाना मुण्डावर के आस–पास मौका अनुसार अपनी–अपनी पहचान छुपाते हुये परिवादीगण के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। तत्पश्चात समय 01.10 पी0एम0 पर पुलिस थाना मुण्डावर से परिवादीगण श्री मोहम्मद साबिर हुसैन एवं उस्मान बिना ईशारा किये ही अपनी मोटर साईकिल से बाहर आये एवं मन पुलिस निरीक्षक को उनकी मोटर साईकिल के पीछे–पीछे चलने का ईशारा किया, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक समस्त ट्रेप पार्टी सदसयों को हमराह लेकर गये वाहनों में बैठाकर परिवादीगण के पीछे–पीछे रवाना हुआ। तत्पश्चात परिवादीगण कस्बा मुण्डावर की तरफ एकान्त जगह में रूककर परिवादी श्री उस्मान ने ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को दिया, जिसे मन पुलिस निरीक्षक ने बन्द कर अपने पास रख लिया तथा परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन ने दोनों गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं व मेरा पिताजी आपके पास से रवाना होकर पुलिस थाना मुण्डावर पर गये, जहा पर हमें श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 थाने पर मौजूद नही मिला, जिसके बारे में मैंने थाने पर मौजूद अन्य पुलिस स्टाफ वालों से पूछा तो बलवन्त सिंह हैड कानि0 को बाहर जाना बताया, जिस पर मैंने मेरे मोबाईल नं0 9729569155 से श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 के मोबाईल नं0 9460470235 पर कॉल कर वार्ता की तो बलवन्त सिंह हैड कानि0 ने किसी काम से सीकर जाना तथा आज वापसी में अपने गॉव रूकना तथा कल या परसो तक थाने पर आने के लिये कहा है। इसलिए हम बिना कोई ईशारा किये ही थाने के बाहर आ गये। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री उस्मान से प्राप्तशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें रिश्वत लेन–देन सम्बन्धी कोई वार्तालाप रिकार्ड होना नही पाई गई, अन्य असम्बन्धित वार्ता/आवाज रिकार्ड होना पाई गई। इसलिए उक्त की ट्रांस्क्रीप्ट बनाने की आवश्यकता नही होने से उक्त रिकार्डिंग को दोनों गवाहान एवं परिवादीगण के समक्ष डिजिटल वाईस रिकार्डर से डिलेट किया गया। चूंकी परिवादी मोहम्मद साबिर हुसैन द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों से ज्ञात हुआ है कि आरोपी थाने पर मौजूद नही है तथा सीकर/अपने गॉव गया हुआ है, ऐसी सूरत में दिनांक 07.10.2022 को ट्रेप कार्यवाही होना संभव नही होने से मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय परिवादीगण श्री मोहम्मद साबिर हुसैन व श्री उस्मान के तीनों वाहनों से मौके

से रवाना अलवर के लिये होकर समय 02.45 पी0एम0 पर ए0सी0बी0 कार्यालय, अलवर प्रथम अलवर पर आया तथा ट्रेपबॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर, को कार्यालय में रखवाया गया तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी मोहम्मद साबिर हुसैन के समक्ष परिवादी श्री उस्मान से पाऊडरयुक्त आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000 रू0 नम्बरी नोटों को परिवादी उस्मान के पहने हुये कुर्ते की दाहिनी जेब से बाहर निकलवाकर उक्त नोटों को एक कागज में लिपटवाकर परिवादी श्री उस्मान से प्राप्त कर कार्यालय की आलमारी में सुरखित रख कर आलमारी को लॉक किया गया। तत्पश्चात समय 03.00 पी0एम0 पर परिवादीगण श्री मोहम्मद साबिर हुसैन एवं श्री उस्मान को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की एवं आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 के गॉव से थाने पर आने तथा रिश्वत के लिये आरोपी द्वारा फोन ईत्यादि करने की जानकारी से तुरन्त जरिये मोबाईल अवगत करवाने की तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु ए0सी0बी0 कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत देकर रवाना किया, साथ ही दोनों गवाहान को भी कार्यवाही हेतु जब भी तलब किया जावे, तब तत्काल प्रभाव से ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने तथा गोपनीयता की हिदायत देकर जाय रवाना किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 09.10.2022 को समय 10.25 ए0एम0 पर परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन ने जरिये मोबाईल अवगत करवाया कि आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123, अपने गॉव से मुण्डावर थाने पर आ गया है तथा इस समय वह थाने पर ही मौजूद है और वह अभी मेरे व मेरे पिताजी उस्मान से रिश्वत के 10,000 रू0 प्राप्त कर लेगा। परिवादी की उक्त सूचना पर परिवादी श्री श्री मोहम्मद साबिर हुसैन को मय अपने पिताजी श्री उस्मान को ए0सी0बी0 चौकी, अलवर पर उपस्थित आने के लिये कहा गया तो परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन ने अलवर आने में समय अधिक लगने की मजबुरी जाहीर करते हुये मुण्डावर में सराय रोड पर एकान्त जगह पर उपस्थित मिलने के लिये कहा। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन को पाबन्द किया कि मैं, ट्रेप पार्टी के अलवर से रवाना होकर आपके पास मुण्डावर में सराय रोड पर एकान्त जगह पर पहुंच रहा हूँ, आप मुझे मुण्डावर में सराय रोड पर मौजूद मिले। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने जरिये दूरभाष कार्यवाही में पूर्व से पाबन्द गवाह श्री भुवनेश्वर कुमार गुप्ता, सहायक राजस्व लेखाधिकारी द्वितीय एवं श्री सन्तोष कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला कलक्टर अलवर को एवं श्री लल्लूराम कानि0, श्री राजवीर कानि0 443 एवं श्री महेश कुमार कानि0 चालक ए0सी0बी0 चौकी, अलवर द्वितीय को तुरन्त प्रभाव से ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर प्रथम पर उपस्थित आने हेतु सूचित किया। उक्त के ब्यूरों कार्यालय में समय 10.45 ए0एम0 पर उपस्थित आने पर समय 10.50 ए0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द, स्वतन्त्र गवाह श्री भुवनेश्वर कुमार गुप्ता, सहायक राजस्व लेखाधिकारी द्वितीय एवं श्री सन्तोष कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक के समक्ष श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से कार्यालय की आलमारी का लॉक खुलवाकर दिनांक 07.10.2018 को परिवादी श्री उस्मान से प्राप्त कर रखी गई फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त रिश्वती राशि 10,000 रू0 नम्बरी नोटों को उसी स्थिति में निकलवाकर सरकारी वाहन आर0जे0–14–यू0सी0–8656 बोलोरों के डेस्कबोर्ड में रखवाये गये। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह श्री भुवनेश्वर कुमार गुप्ता, श्री सन्तोष कुमार शर्मा, ए0सी0बी0 जाप्ता श्री भौरे लाल हैड कानि0 33, श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50, श्री महेश कुमार कानि0 464, श्री हरीश चन्द कानि0 503, श्री रामसिंह कानि0 549, श्री राजवीर कानि0 443, श्री लल्लूराम कानि0 487 एवं श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 के मय सरकारी वाहन आर0जे0–14–यू0सी0–8656 व एक प्राईवेट वाहन मय चालक श्री महेश चन्द शर्मा नं. 374 मय विभागीय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप मय प्रिन्टर, यू0पी0एस0 व आवश्यक स्टेशनरी सामान के हमराह लेकर वास्ते ट्रैप कार्यवाही बजानिब मुण्डावर के लिये रवाना होकर समय 12.05 पी0एम0 पर कस्बा मुण्डावर के पास मुण्डावर से सराय जाने वाले रोड पर परिवादी को बताये हुये स्थान पर पहुंचा, जहाँ पर परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन एवं श्री उस्मान अपनी मोटर साईकिल के साथ सराय रोड के साईड में खडा मौजूद मिला। जहॉ पर मन पुलिस निरीक्षक ने दोनों वाहनों को रोड के साईड में परिवादी के वाहन से कुछ दूरी पर खड़ा करवाकर, परिवादी को अपने पास बुलाकर सरकारी वाहन में बैठाया गया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री भुवनेश्वर कुमार गुप्ता एवं श्री सन्तोष कुमार शर्मा के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द ने परिवादी श्री उस्मान द्वारा दिनांक 07.10.2022 को ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर में संदिग्ध आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123, पुलिस थाना मुण्डावर, जिला भिवाडी(अलवर) को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000 रू0 के पेशशुदा नम्बरी नोट, जो आज श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से कार्यालय की आलमारी से निकलवाकर सरकारी वाहन आर0जे0 14–यू0सी0–8656 बोलोरों के डेस्कबोर्ड में रखवाये गये थे। उक्त नम्बरी नोटों को श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से उक्त वाहन के डेस्कबोर्ड से निकलवाकर, नोटों पर लपेटे हुये कागज को हटवाकर नोटों को उपर–नीचे करवाया गया। परिवादी श्री उस्मान की जामा तलाशी गवाह श्री भुवनेश्वर कुमार गुप्ता से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी

दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री उस्मान के पहने हुये कुर्ते की बगल की दाहिनी जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटों को श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 से रखवाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री उस्मान एवं श्री मोहम्मद साबिर हुसैन को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का यथा-सम्भव प्रयास करें। वक्त लेन-देन के समय आरोपित से होने वाली वार्ता को टेप करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 08.09.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की एवं दिनांक 06.10.2022 को रिश्वत लेन-देन के क्रम में हुई मोबाईल की रिकार्डशुदा वार्ताओं का एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB लगा हुआ है, को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी के पिताजी श्री उस्मान को सुपुर्द किया गया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी के उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करने की हिदायत दी गई। श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 को मौके से वापस कस्बा मुण्डावर में जाने एवं वहां पर किसी स्थान पर रूकने की हिदायत दी गई। जिसकी पृथक से फर्द सुपुर्दगी फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोट एवं डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर दिनांक 09.10.2022 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 12.30 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द, मय हमराहीयान के मय सरकारी वाहन व एक प्राईवेट वाहन मय चालक श्री महेश चन्द शर्मा नं. 374 के तथा साथ ही परिवादी मोहम्मद साबिर हुसैन, श्री उस्मान एवं श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी मोटर साईकिल से हमराह लेकर वास्ते ट्रैप कार्यवाही सराय रोड से पुलिस थाना मुण्डावर के लिये रवाना हुआ तथा साथ ही श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 को मौके से वापस कस्बा मुण्डावर के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 12.35 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादीगण के पुलिस थाना मुण्डावर के पास पहुँचा, जहाँ पर तीनों वाहनों को भीडभाड वाली जगह पर एकान्त में साईड में खड़ा करवाकर तथा परिवादीगण की मोटर साईकिल से श्री महेश कुमार कानि0 को उतारकर तथा श्री महेश कुमार कानि0 से समय 12.36 पी0एम0 पर परिवादी श्री उस्मान का टेप रिकार्डर चालू करवाकर दोनों परिवादीगण को पुलिस थाना मुण्डावर में आरोपी हैड कानि0 श्री बलवन्त के पास जाने हेतु मोटर साईकिल से रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान व एसीबी टीम के बाकि सभी सदस्यों के मौके के अनुसार अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मौके के अनुसार थाने के आस-पास खड़े होकर परिवादी के मुकर्रर ईशारे का इंतजार करने लगे। तत्पश्चात समय 01.30 पी0एम0 पर पुलिस थाना मुण्डावर से परिवादीगण श्री मोहम्मद साबिर हुसैन एवं श्री उस्मान बिना ईशारा किये ही अपनी मोटर साईकिल से बाहर आये एवं मन पुलिस निरीक्षक को उनकी मोटर साईकिल के पीछे-पीछे चलने का ईशारा किया, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों को हमराह लेकर गये वाहनों में बैठाकर परिवादीगण के पीछे-पीछे रवाना हुआ। तत्पश्चात परिवादीगण कस्बा मुण्डावर की तरफ एकान्त जगह में रूककर परिवादी श्री उस्मान ने ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को दिया, जिसे मन पुलिस निरीक्षक ने बन्द कर अपने पास रख लिया तथा परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन ने दोनों गवाहान के समक्ष मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं व मेरा पिताजी आपके पास से रवाना होकर पुलिस थाना मुण्डावर पर गये, जहा पर हमें श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 थाने पर मौजूद नही मिला, जिसके बारे में मैंने थाने पर मौजूद अन्य पुलिस स्टाफ वालों से पूछा तो बलवन्त सिंह हैड कानि0 को थाना ईलाके में बाहर जाना बताया, जिस पर मैंने मेरे मोबाईल नं0 9729569155 से श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 के मोबाईल नं0 9460470235 पर कॉल कर वार्ता की तो बलवन्त सिंह हैड कानि0 ने मुझे बताया कि हमारे थाने के पास ही कल दिनांक 08.10.2022 को अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी जिससे ईलाके में दहशत का माहौल है, इसलिए मैं ईलाके में बदमाशों की चैकिंग के लिये थाने से बाहर आया हुआ हूँ तथा मुझे थाने पर आने में काफी समय लगेगा। इसलिए आज आप वापस चले जाओं बाद में मैं आपको फोन करके बुला लुंगा। बलवन्त हैड कानि0 ने हमें बाद में फोन करके थाने पर बुलाने के कहा है। इसलिए हम बिना कोई ईशारा किये ही थाने के बाहर आ गये। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री उस्मान से प्राप्तशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो उसमें रिश्वत लेन-देन सम्बन्धी कोई वार्तालाप रिकार्ड होना नही पाई गई, अन्य असम्बन्धित वार्ता/आवाज रिकार्ड होना पाई गई। इसलिए उक्त की ट्रांस्क्रीप्ट बनाने की आवश्यकता नही होने से उक्त रिकार्डिंग को दोनों गवाहान एवं परिवादीगण के समक्ष डिजिटल वाईस रिकार्डर से डिलेट किया गया। चूंकी परिवादी मोहम्मद साबिर हुसैन द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों से ज्ञात हुआ है कि आरोपी थाने पर मौजूद नही है तथा थाना ईलाके में बाहर गया हुआ है एवं परिवादीगण को बाद में फोन

करके थाने पर बुलाने के लिये कहा है, ऐसी सूरत में ट्रेप कार्यवाही होना संभव नही है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय परिवादीगण श्री मोहम्मद साबिर हुसैन व श्री उस्मान के एवं कस्बा मुण्डावर से श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 को हमराह लेकर तीनों वाहनों से मौके से रवाना अलवर के लिये होकर समय 03.00 पी0एम0 पर ए0सी0बी0 कार्यालय, अलवर प्रथम अलवर पर आया तथा ट्रेपबॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर, यू0पी0एस0 को कार्यालय में रखवाया गया तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी मोहम्मद साबिर हुसैन के समक्ष परिवादी श्री उस्मान से पाऊडरयुक्त आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000 रू0 नम्बरी नोटों को परिवादी उस्मान के पहने हुये कुर्ते की दाहिनी जेब से बाहर निकलवाकर उक्त नोटों को एक कागज में लिपटवाकर परिवादी श्री उस्मान से प्राप्त कर कार्यालय की आलमारी में सुरखित रख कर आलमारी को लॉक किया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त कार्यवाही की वार्ताओं के रिकार्डशुडा एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को भी डिजिटल वाईस रिकार्डर से निकालकर कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात समय 03.05 पी0एम0 पर परिवादीगण श्री मोहम्मद साबिर हुसैन एवं श्री उस्मान को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की एवं आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 द्वारा रिश्वत के लिये फोन ईत्यादि करने की जानकारी से तुरन्त जरिये मोबाईल अवगत करवाने की तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु ए0सी0बी0 कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत देकर रवाना किया, साथ ही दोनों गवाहान को भी कार्यवाही हेतु जब भी तलब किया जावे, तब तत्काल प्रभाव से इस कार्यालय में उपस्थित होने तथा गोपनीयता की हिदायत देकर जाय तैनाती रवाना किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 29.10.2022 को समय 02.30 पी0एम0 पर परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन मय अपने पिता श्री उस्मान के ए0सी0बी0 कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी श्री मोहम्मद साबिर ने मन पुलिस निरीक्षक को कम्प्यूटर से टाईपशुदा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि मेरे पिताजी के पास हमारे एक रिश्तेदार का फोन आया और उसने मेरे पिताजी से कहा कि पुलिस थाना मुण्डवार के श्री बलवन्त सिंह हैड को किसी कारण से आप लोगों पर शक हो गया है कि साबिर कोई गडबडी तो नही कर रहा है और वह आपसे घबराया हुआ है और अब वह आपसे रिश्वत राशि प्राप्त नही करेगा। इसके बाद मैंने बलवन्त सिंह हैड कानि0 के मोबाईल नं0 9460470235 पर कई बार फोन किया किन्तु वह मेरा फोन नही उठा रहा है और मेरा फोन काट देता है और दिनांक 09.10.2022 से आज तक उसने भी मेरे को वापस कॉल नही किया है। मैंने और मेरे पिताजी श्री उस्मान ने कई बार पुलिस थाना मुण्डावर पर गुप्त रूप से श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 का पता करवाया तो वह थाने पर मौजूद नही मिलता है। बलवन्त सिंह हैड कानि0 ने हमसे अभी तक सम्पर्क नही किया और शायद उसको मेरे द्वारा उसके खिलाफ करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही की भनक लग गई है, इसलिए ही उसने हमारे रिश्तेदार को फोन किया है। मैंने ट्रेप कार्यावाही के लिये जो 10 हजार रू0 दिनांक 07.10.2022 को आपके कार्यालय में पेश किये थे वह मैंने मेरे जानकारों से उधार लेकर पेश किये थे। उधारी देने वाले भी मेरे से पैसे मांग रहे है। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ तथा मुझे इन रूपयों की सख्त जरूरत है। मैं आगे की कार्यवाही का ओर इन्तजार नही कर सकता तथा परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन ने दिनांक 07.10.2022 को ए0सी0बी0 में पेश की गई 10,000 रू0 की राशि वापस लौटाने बाबत निवेदन किया। उक्त तथ्यों बाबत परिवादी के साथ उपस्थित श्री उस्मान से पूछा गया तो श्री उस्मान ने भी परिवादी के उक्त तथ्यों की ताईद की। प्रार्थना पत्र बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र पर परिवादी के पिताजी श्री उस्मान का भी अंगुठा निशानी करवाकर प्रार्थना पत्र संलग्न पत्रावली किया गया तथा परिवादीगण को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया तथा कार्यवाही हेतु दोनों गवाहान को ब्यूरों कार्यालय में तलब किया जाकर गवाह श्री भुवनेश्वर कुमार गुप्ता, सहायक राजस्व लेखाधिकारी द्वितीय, श्री सन्तोष कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक एवं परिवादीगण श्री मोहम्मद साबिर हुसैन व श्री उस्मान की उपस्थिति में परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन तथा आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123, पुलिस थाना मुण्डावर, जिला भिवाडी (अलवर) के मध्य दिनांक 06.10.2022 को परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन के 9729569155 से आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123 के मोबाईल नं0 9460470235 पर रिश्वती लेन–देन के कम में हुई मोबाईल वार्ताओं के रिकार्डशुडा एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को कार्यालय की आलमारी के लॉक से बाहर निकालकर उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 16 GB को डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादीगण श्री मोहम्मद साबिर हुसैन ने अपनी–अपनी आवाज व आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123, पुलिस थाना मुण्डावर, जिला भिवाडी(अलवर) की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादीगण ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा

उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः तीनों सीडीयों पर मार्क **"बी–1"**, मार्क **"बी–2"** एवं मार्क **"बी–3"** अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादीगण श्री मोहम्मद साबिर हुसैन व श्री उस्मान के हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी करवाकर सीडी मार्क **"बी–1"** व मार्क **"बी–2"** को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क **"बी–1"** व मार्क **"बी–2"** अंकित कर गवाहान एवं परिवादीगण के हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क **"बी–3"** को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड **Sandisk 16 GB** के फोल्डर नं. 01 मे दिनांक 08.09.2022 को परिवादीगण व आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123, पुलिस थाना मुण्डावर, जिला भिवाडी(अलवर) के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ताऐं रिकार्ड की हुई है तथा फोल्डर नं0 2 में दिनांक 06.10.2022 को परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन व आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123, पुलिस थाना मुण्डावर, जिला भिवाडी(अलवर) के मध्य रिश्वत लेने देने के क्रम में हुई मोबाईल वार्ता रिकॉर्ड की हुई है। उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड **Sandisk 16 GB** को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर/अुगंठा निशानी करवाकर उसे, एस.डी. मैमोरी कार्ड **Sandisk 16 GB** के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छांट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती सीडी रिश्वत लेन–देन के क्रम में हुई मोबाईल वार्ता, दिनांक 20.10.2022 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई तथा सिल्डशुदा सीडी मार्क ए–1 व ए–2, बी–1 व बी–2 को मालखाना प्रभारी श्री भौरेलाल हैड कानि0 33 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात समय 04.00 पी0एम0 पर गवाह श्री भुवनेश्वर कुमार गुप्ता, सहायक राजस्व लेखाधिकारी द्वितीय, श्री सन्तोष कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक को परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन द्वारा आज दिनांक 20.10.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया गया तथा प्रार्थना पत्र को पढकर परिवादीगण को भी सुनाया गया। परिवादीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित सभी तथ्य सही होना स्वीकार किया। परिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उसकी परिस्थितियों के अनुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नही है। अतः उक्त ट्रेप कार्यवाही बाबत दिनांक 07.10.2022 को परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन द्वारा प्रस्तुत की गई राशि 10,000 रूपये कार्यालय की आलमारी से निकाल कर व उस पर लगे पाउडर को अच्छी तरह छुडाकर परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन को सुपुर्द की गई एवं प्रार्थना पत्र पर ही प्राप्ति हस्ताक्षर प्राप्त कर परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन, परिवादी के पिता श्री उस्मान व दोनों गवाहान को ब्यूरों कार्यालय से जाने की इजाजत दी गई।

अब तक सम्पन की गई सम्पूर्ण कार्यवाही एवं मौके की हालात से आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123 पुलिस थाना मुण्डावर जिला भिवाडी(अलवर) द्वारा परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन एवं परिवादी के पिता श्री उस्मान से पुलिस थाना मुण्डावर, जिला भिवाडी (अलवर) में परिवादी श्री मोहम्मद साबिर हुसैन एवं अन्य के विरूद्ध दर्ज मुकदमा नं0 44/2022 धारा 379, 411 भा0द0सं0 एवं 16, 54 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 में थाने पर जब्त परिवादी की पिकअप गाडी नं0 एच0आर0–74ए–8369 को छुडवाने एवं परिवादी के भाई अहजाद को उक्त मुकदमें में गिरफ्तार नही करने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 08.09.2022 को 10,000 रू0 रिश्वत की मांग करना एवं उक्त रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए सहमत होकर रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होने का श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123 पुलिस थाना मुण्डावर जिला भिवाडी(अलवर) का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 मे प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है।

अतः आरोपी श्री बलवन्त सिंह हैड कानि0 123 पुलिस थाना मुण्डावर जिला भिवाडी(अलवर) के विरूद्ध उपरोक्त धारा में प्रारूप प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

(प्रेम चन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रनिब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बलवन्त सिंह, हैड कानि. नम्बर 123, पुलिस थाना मुण्डावर, जिला भिवाड़ी (अलवर) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 449/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 3884-87 दिनांक 24.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. पुलिस अधीक्षक जिला भिवाड़ी, अलवर।
3. उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।